पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2144
दिनांक- 26.11.2026

जोन-पश्चिमी/ थाना- सआदतगंज

- ***शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने तथा आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर धनराशि वसूलने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।***

01-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.11.2026 को वादिनी द्वारा थाना सआदतगंज पर लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त इकबाल कदीर उर्फ अंजर द्वारा शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर होटल में ले जाकर उनकी मर्जी के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए तथा छलपूर्वक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देते हुए ब्लैकमेल कर करीब 50,000/- रुपये वसूल लिए गए व विरोध करने पर गाली-गलौज, मारपीट तथा वादिनी व उसके परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना सआदतगंज पर मु0अ0सं0 283/2026 धारा 69, 115(2), 351(3), 352, 318(4) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उच्चाधिकारियों के निर्देशन में वांछित अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सटीक सूचना पर दिनांक 26.11.2026 को समय करीब 10:50 बजे माया कैफे के पास, थाना क्षेत्र आशियाना से मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त इकबाल कदीर उर्फ अंजर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नियमानुसार मेडिकल परीक्षण कराकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-इकबाल कदीर उर्फ अंजर पुत्र कदीर अहमद निवासी 283/75ख हरचन्दपुर गढ़ी कनौरा, तालकटोरा रोड, थाना आलमबाग, लखनऊ, उम्र करीब 22 वर्ष

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 283/2026 धारा 69, 115(2), 351(3), 352, 318(4) बीएनएस, थाना सआदतगंज, लखनऊ।

04- गिरफ्तार करने वाले पुलिस का नाम-

1. व0उ0नि0 परविन्द कुमार सरोज, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. हे0का0 दीपक कुमार, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. का0 मंगलदेव यादव, थाना सआदतगंज, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2143..
दिनांक-26.11.2026

जोन-उत्तरी/थाना- मलिहाबाद

थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित दो मोटरसाइकिलें बरामद, चोरी की सम्पत्ति छिपाकर रखने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार

- **मोटरसाइकिल दुर्घटना के प्रकरण में पूछताछ के दौरान चोरी की घटनाओं का खुलासा।**
- **अभियुक्त की निशानदेही पर जनपद बहराइच से चोरी की गई टीवीएस रोनिन मोटरसाइकिल बरामद।**
- **चोरी की घटना में प्रयुक्त टीवीएस अपाचे मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली।**
- **मलिहाबाद एवं रहीमाबाद क्षेत्र में हुई चोरी की घटनाओं में अभियुक्त की संलिप्तता प्रकाश में आई।**
- **चोरी की सम्पत्ति छिपाकर रखने के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार, अन्य साथियों की तलाश जारी।**

01. घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.11.2026 को थाना मलिहाबाद पुलिस द्वारा मिर्जागंज फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिलों के दुर्घटनाग्रस्त होने तथा मौके पर मौजूद व्यक्तियों के फरार होने के संबंध में संदिग्ध **यश सिंह पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष** निवासी कल्याण बिहार कॉलोनी, कामता, थाना चिनहट, लखनऊ (स्थायी निवासी ग्राम बहरीला डी0, थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी) को पूछताछ हेतु थाने पर बुलाया गया। अभियुक्त अपने भाई हर्ष सिंह के साथ थाना उपस्थित आया।

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिनांक 23.11.2026 को अपने साथियों के साथ दो मोटरसाइकिलों से थाना रहीमाबाद क्षेत्र में एक ज्वैलर्स की दुकान पर जाने तथा उसके साथियों द्वारा दुकान का शटर तोड़कर जेवरात एवं सीसीटीवी डीवीआर चोरी किए जाने की जानकारी दी गई। अभियुक्त के अनुसार वह घटना के दौरान मोटरसाइकिल पर मौजूद था। वापसी के दौरान मिर्जागंज फ्लाईओवर के पास मोटरसाइकिलें एक गाय से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गईं, जिसके बाद उसके साथी मौके से फरार हो गए।

02. अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद

पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके साथी जिस **टीवीएस रोनिन मोटरसाइकिल (रजि0 नं0 UP40BS9323)** का इस्तेमाल कर रहे थे, उसे करीब एक माह पूर्व जनपद बहराइच के पयागपुर क्षेत्र स्थित खुटाना चौराहा से चोरी किया गया था। मोटरसाइकिल की चेन खराब होने के कारण उसे मुजासा फ्लाईओवर के पास ग्राम मुजासा जाने वाली सड़क के किनारे खेत में खड़ा कर दिया गया था।

अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान से **टीवीएस रोनिन मोटरसाइकिल, रंग चारकोल एम्बर, रजि0 नं0 UP40BS9323** बरामद की गई। ई-चालान एप के माध्यम से वाहन के पंजीकरण संबंधी जानकारी प्राप्त की गई तथा वाहन स्वामी से दूरभाष पर संपर्क करने एवं थाना पयागपुर से पुष्टि करने पर उक्त मोटरसाइकिल के संबंध में थाना पयागपुर, जनपद बहराइच पर **मु0अ0सं0 424/2026 धारा 303(2) बीएनएस** पंजीकृत होना ज्ञात हुआ।

03. घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ली

अभियुक्त द्वारा घटना में प्रयुक्त बताई गई दूसरी मोटरसाइकिल **टीवीएस अपाचे RTR, रंग काला, रजि0 नं0 UP40BC7094** को भी पुलिस द्वारा कब्जे में लिया गया। ई-चालान एप से प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त मोटरसाइकिल सिराजुद्दीन पुत्र रियाजुद्दीन निवासी काजीपुरवा पूर्वी, जनपद बहराइच के नाम पंजीकृत पाई गई।

इस प्रकार पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद करने के साथ ही घटना में प्रयुक्त दूसरी मोटरसाइकिल को भी कब्जे पुलिस में लिया गया। दोनों मोटरसाइकिलों को थाना मलिहाबाद लाकर थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा कराया गया।

04. अन्य चोरी की घटनाओं में संलिप्तता एवं विधिक कार्रवाई

पूछताछ के दौरान अभियुक्त द्वारा दिनांक 06.11.2026 को अपने साथियों के साथ थाना मलिहाबाद क्षेत्र के ग्राम पाठकगंज महमूदनगर में एक दुकान का शटर तोड़कर सिगरेट, पान मसाला एवं गुटखा आदि चोरी करने की घटना में भी शामिल होना बताया गया। उक्त प्रकरण के संबंध में थाना मलिहाबाद पर पंजीकृत अभियोग के तथ्यों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त की भूमिका की जांच की जा रही है।

अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद होने तथा चोरी की सम्पत्ति को छिपाकर रखने के तथ्य प्रकाश में आने पर संबंधित अभियोग में **धारा 317(5) बीएनएस** की वृद्धि की गई। अभियुक्त यश सिंह को उपलब्ध साक्ष्यों एवं गिरफ्तारी के आधार एवं कारणों से अवगत कराते हुए दिनांक **25.11.2026 को समय करीब 18:00 बजे** नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

05. अनावरित/संबंधित अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0सं0 229/2026, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. मु0अ0सं0 424/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच।
3. मु0अ0सं0 218/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. मु0अ0सं0 190/2026, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस, थाना रहीमाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 229/2026, धारा 317(2)/317(5) बीएनएस, थाना मलिहाबाद।
2. मु0अ0सं0 218/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस, थाना मलिहाबाद।
3. मु0अ0सं0 190/2026, धारा 305(ए)/331(4) बीएनएस, थाना रहीमाबाद।
4. मु0अ0सं0 424/2026, धारा 303(2) बीएनएस, थाना पयागपुर, जनपद बहराइच।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- यश सिंह पुत्र स्व0 रंजीत सिंह, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी किराये का मकान कल्याण बिहार कॉलोनी, कामता, थाना चिनहट, जनपद लखनऊ, स्थायी निवासी ग्राम बहरीला डी0, थाना रामसनेहीघाट, जनपद बाराबंकी।

बरामदगी का विवरण-

1. एक अदद मोटरसाइकिल टीवीएस रोनिन, रंग चारकोल एम्बर, रजि0 नं0 UP40BS9323।
2. एक अदद मोटरसाइकिल टीवीएस अपाचे RTR, रंग काला, रजि0 नं0 UP40BC7094।

अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। घटना में शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका, चोरी की गई अन्य सम्पत्ति की बरामदगी तथा प्रकरण से जुड़े शेष तथ्यों के संबंध में साक्ष्य संकलन एवं अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री श्रीपाल सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
2. उ0नि0 शनि तोमर, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
3. हे0का0 अमित कुमार सिंह, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
4. का0 उत्तम राठी, थाना मलिहाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2145
दिनांक-26.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी एव क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीम की सफलता।**
- **सोना व्यवसायी से सोने के आभूषण एवं सोने से भरा बैग लूटने वाला गिरोह के पुलिसकर्मी सहित कुल पांच अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लगभग 844 ग्राम पीली धातु के आभूषण एवं सोने के टुकड़े, 1,82,500/- रू0 नकद तथा घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद।**

01.कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ **श्री तरुण गाबा** महोदय तथा श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध **श्रीमती अपर्णा कुमार** व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था **श्री बबलू कुमार** के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री मो0 मुश्ताक** एवं पुलिस उपायुक्त अपराध **श्री अनिल कुमार यादव** के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार** तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज **श्री ऋषभ यादव** के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के गठित टीम द्वारा सोना व्यवसायी से सोने के आभूषण एवं सोने से भरा बैग लूटने वाला गिरोह के पुलिसकर्मी सहित कुल पांच अभियुक्त गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.11.2026 को शिकायतकर्ता महेन्द्र दास पुत्र मनोरंजन दास, निवासी जनपद पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, हाल निवासी करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर तहरीरी सूचना दी गई कि वह अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है तथा व्यापारियों से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार सोने के आभूषण तैयार कर उन्हें पहुंचाने का कार्य करता है। दिनांक 20.11.2026 को वह जौनपुर के विभिन्न सर्राफा व्यापारियों को सोने के आभूषण देने के उपरान्त दिनांक 21.11.2026 की रात्रि में खजुराहो ट्रैवल्स की बस से जौनपुर से दिल्ली के लिए रास्ते में लखनजा रहा था रास्ते में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रान्तर्गत खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पम्प के सामने रात्रि करीब 01:30 बजे कुछ व्यक्तियों द्वारा बस को रुकवाकर स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए शिकायतकर्ता को जबरन बस से उतार लिया गया।अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता को जबरन सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर उसका मोबाइल फोन एवं नकदी वाला बैग छीन लिया तथा उसके पास मौजूद ज्वैलरी बैग भी अपने साथियों को दे दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को कुछ दूर ले जाकर सड़क किनारे उतारकर अभियुक्त फरार हो गये।

वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 789/2026 धारा 310(2), 204, 205, 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी व क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीमों द्वारा करीब 250 सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए व टैक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तन्त्र के माध्यम से आज दिनांक 26.11.2026 को अभियुक्त 01. प्रीतम सोनी 02. अविनाश शाही 03. राहुल चौहान 04. दुर्गेश कुमार 05. तिलक मांझी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। **घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण विनय शंकर, रविशंकर, सागर सेठ व एक अन्य व्यक्ति अज्ञात की तलाश की जा रही है।**

03. पूछताछ विवरण :-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि अभियुक्त तिलक मांझी जौनपुर में सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है तथा शिकायतकर्ता महेन्द्र दास एवं उसके जीजा छोटू साहू से पूर्व परिचित था। अभियुक्त प्रीतम सोनी भी सोने के आभूषण के कारोबार से जुड़ा हुआ था। तिलक मांझी एवं प्रीतम सोनी के मध्य बातचीत के दौरान सोना व्यवसायियों के आवागमन एवं उनके पास मौजूद सोने की जानकारी प्राप्त कर उन्हें रास्ते में पकड़वाकर माल हड़पने की योजना बनाई गई। अभियुक्तों द्वारा इस योजना में जनपद जौनपुर में तैनात पुलिसकर्मी विनय शंकर एवं कस्टम विभाग (डी.आर.आई.) में तैनात बताए जा रहे पुलिसकर्मी अविनाश शाही को शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त लखनऊ में मौजूद अन्य साथियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि महेन्द्र दास के जौनपुर से दिल्ली जाने की जानकारी मिलने पर उसकी बस संख्या एवं यात्रा की जानकारी अपने साथियों को दी गई। इसके बाद बस में मौजूद अभियुक्त अविनाश शाही द्वारा बस में सफर कर रहे महेन्द्र दास की पहचान कराई गई तथा लखनऊ में अन्य साथियों को बस रोकने के लिए सूचित किया गया। लखनऊ में स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचे अभियुक्तों द्वारा बस को रुकवाकर स्वयं को जौनपुर पुलिसकर्मी बताते हुए महेन्द्र दास को जबरन बस से उतारा गया तथा सोने से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया गया।

घटना के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन भी बस के पीछे चल रहा था, जिसमें सोने से भरा बैग लेकर अन्य साथी जौनपुर की ओर चले गये। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि लूटे गये सोने एवं आभूषणों को आपस में बांटकर बेचने तथा प्राप्त धनराशि को आपस में वितरित करने की योजना थी। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा सोने के आभूषण एवं सोने के टुकड़ों का बंटवारा किया जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

04.घटना में अपनाया गया तरीका (मोडस ऑपरेंडी)-

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा आपसी संपर्क एवं पूर्व नियोजित योजना के तहत सोने के व्यवसायी के आवागमन एवं उसके पास मौजूद सोने-आभूषणों की जानकारी प्राप्त की गई। पुलिसकर्मी होने की पहचान एवं पद का दुरुपयोग करते हुए व्यवसायी पर तस्करी का आरोप लगाकर उसे बस से उतारकर स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया गया तथा उसके पास मौजूद सोने-आभूषणों से भरा बैग अपने अन्य साथियों को सौंप दिया गया। इसके बाद व्यवसायी को रास्ते में छोड़कर अभियुक्तों द्वारा लूटे गये माल का आपस में बंटवारा एवं निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्रीतम सोनी पुत्र स्व0 संतोष कुमार सोनी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चारसू चौराहा तड़तल्ला थाना कोतवाली जनपद जौनपुर। व्यवसाय- सुनार।

2. अविनाश शाही पुत्र शमशेर शाही उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम 116 /525 केशवनगर रावतपुर थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर। **व्यवसाय- डी.आर.आई. लखनऊ (एसएससी मल्टी टास्किग स्टाफ)।**

3. राहुल चौहान पुत्र उमा प्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी 725/10 आदर्शनगर थाना रावतपुर जनपद कानपुरनगर। **व्यवसाय- सिक्योरिटी गार्ड, बैंक आफ बडौदा विभूतिखंड ,लखनऊ।**

4. दुर्गेश कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 बलराम कुशवाहा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा जनपद देवरिया। **व्यवसाय-लखनऊ में तैनात पुलिस सिपाही।**

5. तिलक मांझी पुत्र भारतचन्द्र मांझी निवासी चीतारामचक थाना दासपुर जनपद पश्चिमी मेदनीपुर पंश्चिम बंगाल हाल पता तुतीपुर नई कालोनी तारतला थाना सदर कोतवाली जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष। **व्यवसाय- सोने का कारीगर।**

06- वांछित अभियुक्तगण:-

01.विनय शंकर पुत्र उमाशंकर नि0 महरौरा पोस्ट दोस्तपुर बछरांवा जनपद रायबरेली। **व्यवसाय-जौनपुर में तैनात पुलिस सिपाही।**

02.रविशंकर पुत्र उमाशंकर नि0 महरौरा पोस्ट दोस्तपुर बछरांवा जनपद रायबरेली।

03.सागर सेठ नि0 अज्ञात।

04.एक अन्य व्यक्ति अज्ञात

06. बरामदगी का विवरण:-

- कुल पीली धातु – 844 ग्राम।
- कुल नकद धनराशि – 1,82,500/- रू0
- घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन।

07.- पंजीकृत अभियोग:-

01-मु0अ0सं0 789/2026 धारा 310(2)/204/205/140(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 198/61(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ।
- सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी, कमिश्नरेट लखनऊ।
- क्राइम ब्रांच लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ।

पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ

प्रेस नोट सं0-2145
दिनांक-26.11.2026

जोन- दक्षिणी/ थाना- सुशान्त गोल्फ सिटी

- **थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी एव क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीम की सफलता।**
- **सोना व्यवसायी से सोने के आभूषण एवं सोने से भरा बैग लूटने वाला गिरोह के पुलिसकर्मी सहित कुल पांच अभियुक्त गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तगण के कब्जे से लगभग 844 ग्राम पीली धातु के आभूषण एवं सोने के टुकड़े, 1,82,500/- रू0 नकद तथा घटना में प्रयुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद।**

01.कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ **श्री तरुण गाबा** महोदय तथा श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध **श्रीमती अपर्णा कुमार** व श्रीमान संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था **श्री बबलू कुमार** के निर्देशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री मो0 मुश्ताक** एवं पुलिस उपायुक्त अपराध **श्री अनिल कुमार यादव** के कुशल पर्यवेक्षण व अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी **श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार** तथा सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज **श्री ऋषभ यादव** के कुशल मार्गदर्शन एवं प्रभारी निरीक्षक सुशान्त गोल्फ सिटी श्री राजीव रंजन उपाध्याय के गठित टीम द्वारा सोना व्यवसायी से सोने के आभूषण एवं सोने से भरा बैग लूटने वाला गिरोह के पुलिसकर्मी सहित कुल पांच अभियुक्त गिरफ्तार।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 25.11.2026 को शिकायतकर्ता महेन्द्र दास पुत्र मनोरंजन दास, निवासी जनपद पूर्व मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, हाल निवासी करोल बाग, नई दिल्ली द्वारा थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर तहरीरी सूचना दी गई कि वह अपने जीजा छोटू साहू के साथ सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है तथा व्यापारियों से प्राप्त ऑर्डर के अनुसार सोने के आभूषण तैयार कर उन्हें पहुंचाने का कार्य करता है। दिनांक 20.11.2026 को वह जौनपुर के विभिन्न सर्राफा व्यापारियों को सोने के आभूषण देने के उपरान्त दिनांक 21.11.2026 की रात्रि में खजुराहो ट्रैवल्स की बस से जौनपुर से दिल्ली के लिए रास्ते में लखनजा रहा था रास्ते में थाना सुशान्त गोल्फ सिटी क्षेत्रान्तर्गत खुर्दही बाजार स्थित एचपी पेट्रोल पम्प के सामने रात्रि करीब 01:30 बजे कुछ व्यक्तियों द्वारा बस को रुकवाकर स्वयं को पुलिसकर्मी बताते हुए शिकायतकर्ता को जबरन बस से उतार लिया गया।अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता को जबरन सफेद रंग की स्विफ्ट डिजायर कार में बैठाकर उसका मोबाइल फोन एवं नकदी वाला बैग छीन लिया तथा उसके पास मौजूद ज्वैलरी बैग भी अपने साथियों को दे दिया गया। इसके बाद शिकायतकर्ता को कुछ दूर ले जाकर सड़क किनारे उतारकर अभियुक्त फरार हो गये।

वादी की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पर मु0अ0सं0 789/2026 धारा 310(2), 204, 205, 140(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान पुलिस आयुक्त महोदय कमिश्नरेट लखनऊ के निर्देशन में 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया। गठित पुलिस टीमों व सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी व क्राइम ब्रांच लखनऊ की संयुक्त टीमों द्वारा करीब 250 सीसीटीवी फुटेज चेक करते हुए व टैक्निकल व मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तन्त्र के माध्यम से आज दिनांक 26.11.2026 को अभियुक्त 01. प्रीतम सोनी 02. अविनाश शाही 03. राहुल चौहान 04. दुर्गेश कुमार 05. तिलक मांझी को गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। **घटना में शामिल अन्य अभियुक्तगण विनय शंकर, रविशंकर, सागर सेठ व एक अन्य व्यक्ति अज्ञात की तलाश की जा रही है।**

03. पूछताछ विवरण :-

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ करने पर प्रकाश में आया कि अभियुक्त तिलक मांझी जौनपुर में सोने के आभूषण बनाने का कार्य करता है तथा शिकायतकर्ता महेन्द्र दास एवं उसके जीजा छोटू साहू से पूर्व परिचित था। अभियुक्त प्रीतम सोनी भी सोने के आभूषण के कारोबार से जुड़ा हुआ था। तिलक मांझी एवं प्रीतम सोनी के मध्य बातचीत के दौरान सोना व्यवसायियों के आवागमन एवं उनके पास मौजूद सोने की जानकारी प्राप्त कर उन्हें रास्ते में पकड़वाकर माल हड़पने की योजना बनाई गई। अभियुक्तों द्वारा इस योजना में जनपद जौनपुर में तैनात पुलिसकर्मी विनय शंकर एवं कस्टम विभाग (डी.आर.आई.) में तैनात बताए जा रहे पुलिसकर्मी अविनाश शाही को शामिल किया गया।

इसके अतिरिक्त लखनऊ में मौजूद अन्य साथियों को भी योजना में सम्मिलित किया गया। अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि महेन्द्र दास के जौनपुर से दिल्ली जाने की जानकारी मिलने पर उसकी बस संख्या एवं यात्रा की जानकारी अपने साथियों को दी गई। इसके बाद बस में मौजूद अभियुक्त अविनाश शाही द्वारा बस में सफर कर रहे महेन्द्र दास की पहचान कराई गई तथा लखनऊ में अन्य साथियों को बस रोकने के लिए सूचित किया गया। लखनऊ में स्विफ्ट डिजायर कार से पहुंचे अभियुक्तों द्वारा बस को रुकवाकर स्वयं को जौनपुर पुलिसकर्मी बताते हुए महेन्द्र दास को जबरन बस से उतारा गया तथा सोने से भरा बैग अपने कब्जे में ले लिया गया।

घटना के दौरान एक स्कॉर्पियो वाहन भी बस के पीछे चल रहा था, जिसमें सोने से भरा बैग लेकर अन्य साथी जौनपुर की ओर चले गये। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया कि लूटे गये सोने एवं आभूषणों को आपस में बांटकर बेचने तथा प्राप्त धनराशि को आपस में वितरित करने की योजना थी। इसी क्रम में अभियुक्तों द्वारा सोने के आभूषण एवं सोने के टुकड़ों का बंटवारा किया जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

04.घटना में अपनाया गया तरीका (मोडस ऑपरेंडी)-

विवेचना के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्तों द्वारा आपसी संपर्क एवं पूर्व नियोजित योजना के तहत सोने के व्यवसायी के आवागमन एवं उसके पास मौजूद सोने-आभूषणों की जानकारी प्राप्त की गई। पुलिसकर्मी होने की पहचान एवं पद का दुरुपयोग करते हुए व्यवसायी पर तस्करी का आरोप लगाकर उसे बस से उतारकर स्विफ्ट डिजायर कार में बैठा लिया गया तथा उसके पास मौजूद सोने-आभूषणों से भरा बैग अपने अन्य साथियों को सौंप दिया गया। इसके बाद व्यवसायी को रास्ते में छोड़कर अभियुक्तों द्वारा लूटे गये माल का आपस में बंटवारा एवं निस्तारण करने का प्रयास किया जा रहा था, तभी पुलिस टीम द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

05-गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

1. प्रीतम सोनी पुत्र स्व0 संतोष कुमार सोनी उम्र करीब 32 वर्ष निवासी ग्राम चारसू चौराहा तड़तल्ला थाना कोतवाली जनपद जौनपुर। व्यवसाय- सुनार।

2. अविनाश शाही पुत्र शमशेर शाही उम्र करीब 29 वर्ष निवासी ग्राम 116 /525 केशवनगर रावतपुर थाना रावतपुर जनपद कानपुर नगर। **व्यवसाय- डी.आर.आई. लखनऊ (एसएससी मल्टी टास्किग स्टाफ)।**

3. राहुल चौहान पुत्र उमा प्रसाद उम्र 33 वर्ष निवासी 725/10 आदर्शनगर थाना रावतपुर जनपद कानपुरनगर। **व्यवसाय- सिक्योरिटी गार्ड, बैंक आफ बडौदा विभूतिखंड ,लखनऊ।**

4. दुर्गेश कुमार कुशवाहा पुत्र स्व0 बलराम कुशवाहा उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम सोहनपुर थाना बनकटा जनपद देवरिया। **व्यवसाय-लखनऊ में तैनात पुलिस सिपाही।**

5. तिलक मांझी पुत्र भारतचन्द्र मांझी निवासी चीतारामचक थाना दासपुर जनपद पश्चिमी मेदनीपुर पंश्चिम बंगाल हाल पता तुतीपुर नई कालोनी तारतला थाना सदर कोतवाली जनपद जौनपुर उम्र करीब 32 वर्ष। **व्यवसाय- सोने का कारीगर।**

06- वांछित अभियुक्तगण:-

01.विनय शंकर पुत्र उमाशंकर नि0 महरौरा पोस्ट दोस्तपुर बछरांवा जनपद रायबरेली। **व्यवसाय-जौनपुर में तैनात पुलिस सिपाही।**

02.रविशंकर पुत्र उमाशंकर नि0 महरौरा पोस्ट दोस्तपुर बछरांवा जनपद रायबरेली।

03.सागर सेठ नि0 अज्ञात।

04.एक अन्य व्यक्ति अज्ञात

06. बरामदगी का विवरण:-

- कुल पीली धातु – 844 ग्राम।
- कुल नकद धनराशि – 1,82,500/- रू0
- घटना में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो वाहन।

07.- पंजीकृत अभियोग:-

01-मु0अ0सं0 789/2026 धारा 310(2)/204/205/140(3) बीएनएस व बढोत्तरी धारा 198/61(2)/317(2) बीएनएस थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- थाना सुशान्त गोल्फ सिटी पुलिस टीम कमिश्नरेट लखनऊ।
- सर्विलांस सेल जोन दक्षिणी, कमिश्नरेट लखनऊ।
- क्राइम ब्रांच लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ।